संख्या : 1126 /VIII/07–श्रम/2006

प्रेषक,

टी0आर0 भट्ट,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून दिनांक: 7 अगस्त–06

विषयः आलोच्य वित्तीय वर्ष–2006–07 में उपश्रमायुक्त (मुख्यालय) हल्द्वानी हेतु एक जिप्सी को क्रय किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 2463/बजट–15–36/मु0/2006 दिनांक 15,जून–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि आपके प्रस्तावानुसार उप श्रमायुक्त (मुख्यालय) हेतु एक मारूति जिप्सी क्रय जाने तथा संलग्न–विवरणानुसार अन्य आवश्यक व्ययों हेतु आयोजनागत पक्ष में कुल रूपये 6,19,000/– (रूपये छः लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं साथ ही एक वाहन चालक के अस्थाई पद दिनांक 28,फरवरी–2007 तक के लिए वेतनमान 3050–4590 के सृजन की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– वाहन का क्रय प्रेफार्मा इन्वाइस की लागत पर डी0जी0एस0एण्डडी0 की दरों पर किया जायेगा, उक्त मद में एक्सेसरीज हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नहीं होगी । वाहन के क्रय में व्यापार कर की छूट हेतु फार्म–3 डी निष्पादित करके किया जायेगा । उक्त के फलस्वरूप यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है, तो वह शासन को समर्पित कर दी जायेगी ।

3– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आबंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता है। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा । व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/ अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4– व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्डडी, की दरों एवं शर्तो, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

शासनादेश संख्या : 1126/VIII/ 07–श्रम/06 दिनांक 7 अगस्त–2006 का संलग्नक
आयोजनागत् अनुदान संख्या : 16 धनराशि हजार रूपये में
मुख्य लेखाशीर्षक 2230– श्रम तथा रोजगार
01– श्रम
001–निदेशन तथा प्रशासन
03–श्रम विभाग का अधिष्ठान–00

क0सं0	कोड/मद	आंबटित धनराशि
1.	01 वेतन	74
2.	03 महंगाई भत्ता	32
3.	06 अन्य भत्ते	08
4.	14 कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय	433
5.	15 गाडियों का अनुश्रवण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	35
6.	48 महंगाई वेतन	37
	योग :	619

(रूपये छः लाख उन्नीस हजार मात्र)

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित् लेखाशीर्षक की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा ।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : यूओ 461/वि0अनु0–5/2006 दिनांक 01,अगस्त–2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्नक : यथोक्त ।

भवदीय

(टी0आर0 भट्ट)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 1126(1)/VIII/07–श्रम/2005, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी ।
3– स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन ।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री।
5– निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ लाये जाने हेतु।
6– सम्बन्धित अधिकारी ।
7– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट।
8– वित्त अनुभाग–5
9– नियोजन विभाग उत्तरांचल शासन ।
10– एनआईसी सचिवालय ।
11– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।